INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS

DEPARTMENT

ADMINISTRATIVE REPORT

2024-2025

Updates upto May, 2024-2025

Office of the Accountant General (A. & E.) -II, U.P.,
Prayagraj

Organizational Structure

(As on 31.05.2024)

Dr.Surendra Kumar is holding the charge as Accountant General in the Office of the Accountant General (A. & E.) - II, U.P., Prayagraj.

The charges of the Group Officers are as under:

S. No.	Name of Group Officer	Charge
1.	Mr. Abhishek Kumar, Dy. Accountant General	Charge of Fund Coordination and Additional Charge of Admn. &DACC wing
2.	Mr. Raj Kumar, Dy. Accountant General	Charge of Pension & GE wing, TAD & VLC wing, and Works wing.

Monthly Administrative Report (Admn. Wing)

Budget: 2024-2025

Heads	Budget in Rupees	Expenditure up to 05/2024 (In Rupees)
Salaries, Wages & OTA	248986200	67925410
REWARDS	0	0
ALLOWANCES	180665920	53291470
LTC	605210	157450
DTE	1352000	556300
Rents, Rates & Taxes	NIL	NIL
Office Expenses	15345250	2971210

The details of employees who bade farewell to this office till 31 May 2024

SI.	Name & Designation	P.No.	Date of Retirement/Death
No	Smt/Sri		
01.	Ram Naresh	M/2270	30.04.2024
02.	Neeta Singh	D/2407	30.04.2024
03.	Om Prakash	E/3450	30.04.2024
04.	Dinesh Kumar Arya	M/2584	31.05.2024
05.	Vinay Kumar Kanojia	M/2500	31.05.2024
06.	Mahendra Pratap	D/1610	31.05.2024
07.	Ashok Kumar	D/3345	31.05.2024

In-house Training

(General & EDP Courses)

01.04.2024 to 31.05.2024

SI.	Name of Course	Period	Slo
No.			ts
1.	Basic Training on Ms word (with unicodeType)	15.04.2024 - 16.04.2024	04
2.	Training on e-Office	24.04.2024 -25.04.2024	04
3.	Right to Information Act 2005	15.04.2024 -16.04.2024	07
4.	Refresh coursen for Fund Coordination	24.04.2024 -25.04.2024	10
5.	Working of Pension	09.05.2024-10.05.2024	5
6.	Training of e-HRMS	14.05.2024-15.05.2024	4
7.	Course of GPF Module	28.05.2024-29.05.2024	4
8.	Handling of Legal Cases	29.05.2024-30.05.2024	6

RTI Training

(General & EDP Courses)

01.04.2024 to 31.05.2024

SI.	Name of Course	Period	Slots
No.			
1.	Induction training or newly promoted	01.04.2024-10.05.2024	09
	AAO'S/DRAAOs/Superison		
2.	Audit of procurement through Gem	08.04.2024 - 10.04.2024	03
3.	Government Accounting standerds Advisary	18.04.2024 -19 -04-2024	04
	Board (GASAB)		
4.	Course on e-Office with e-HRMS	22.04.2024 - 24.04.2024	02
5.	Suspense Accounts, Transfer entries,	01.05.2024-03.05.2024	07
	Book(C) and Misc. Issues		

6.	Advance Course on MS word and Power	06.05.2024-10.05.2024	2
	Point		
7.	Seminar on Right to Information Act	20.5.2024-21.05.20224	2

MANUALS:

SI No.	Name of Manuals	Printing Year
1	Procedure manual of VLC	2005
2	Works Manual	2008
3	Pension Manual	2006
4	GE Manual	2006
5	Forest Manual	1992

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

Meeting: NIL

Hindi workshop: Nil

Nomination: Nil

Inspection: Nil

IT Infrasturcture

The Computer Cell looks after all the computer hardware and software requirements of the office and matters related to purchase, physical verification, and Annual Maintenance Contract.

No. of Hardware in this office:

Sl. No.	Name of Hardware	Numbers
1	Servers	19
2	Computer	608
3	Printers	112
4	UPS	388
5.	Scanner	17
6.	Laptop	90

Computer Cell is also managing/ looking after the following important IT related works:

- 1. Procurement of computer stationery, hardware, and software.
- 2. Maintenance of office intranet. All manuals, Attendance, Gradation List, Leave Accounts, Circulars & office orders etc. have been placed on the office Intranet and are being updated regularly.
- 3. Composite website, SMS Service, and I.T. Security related matters.
- 4. Change management of VLC & GPF.
- 5. Technical part of development of interface under IFMS
- 6. Annual maintenance of Computer hardware, and networking is being done by 3rd party vendor.
- 7. Annual maintenance of CCTV and Biometric is being done by 3rd party vendor.
- 8. Updation of hardware/software on web-based Inventory.
- 9. Procurement of SMS services for GPF subscribers of UP Government.

General Provident Fund

A Deputy Accountant General is the Head of this group. The General Provident Fund (GPF) accounts of subscribers in respect of Agriculture, Animal Husbandry, Cooperative, Law and Justice, Medical, Public Health, Family welfare, Irrigation, Public works and Forest Department of Uttar Pradesh Government, Other than Class IV employees are maintained by this office.

General

- 1.The Government of Uttar Pradesh introduced the system of maintenance of pass book by all Drawing and Disbursing Officers with effect from 01.04.1985 under the GPF U.P. Rules 1985. Payment of 90% balances standing at credit of the subscribers in his Pass Book is made at the time of the death/retirement by the Drawing and Disbursing Officer. The residual balance of 10% available in GPF account of a retired/expired subscriber is authorized by this office after necessary scrutiny. As a result, work relating to issue of Final Payment Authorities also involves the reconciliation and settlement of discrepancies between the pass book maintained at drawing and disbursing officer's level and the subscribers/account maintained in this office.

 2. Annual statement of GPF account in respect of all subscribers are uploaded on official website in the month of July every year. Uploading of Accounts Statement is given wide publicity. The Accounts Statement for the year 2022-23 have been uploaded on 28.06.2023 on official website. The subscribers can print out the statement with the help of his/her date of birth. Such statements help the subscribers to get acquainted with each year's account position
- Finance, Uttar Pradesh has added to our work load.

 3.Besides above, Visitor Facilitation Cell is functioning for prompt redressal of grievances of visiting subscribers and Fund-1 monitors settlement of complaints received from the Headquarters' Office.

and enables them to take up correspondence with the office for redressal. The increased awareness as well as reconciliation prior to 90% payment, made mandatory by Ministry of

System Improvement.

- 1. Various actions have been initiated by A.G. and DAG to improve the working of Fund Wing. Funds Wing have been reorganized major head wise under a Branch Officer with posting of GPF details till final payment.
- 2.The matter regarding missing schedules and half filled details in schedule is being taken up with Director of Treasuries at high power committee meeting and doing workshops are also organized with TOs/DDOs
- 3.GPF data is being maintained in Oracle Package.
- 4.The ALPM computer section has been provided a format for proving of monthly account at the end of each month closing.
- 5.DAG (Funds) is regularly holding meeting with Branch Officers & sectional head of Funds Wings for improvement in FP and other cases.
- 6.GPF Authorities have been computerized to reduce the problem of visibility of various details provided in them.
- 7.Posting of GPF details from Establishment Vouchers, is carried out in order to reduce the missing credits.

Interaction with State Govt.

We have developed a healthy interaction with some State Govt.Departments. Some of the activities which have been followed up are:-

- 1.Meeting with Finance Secretary U.P. with regard to discuss GPF related issues like recovery/write-off the amount of Minus Balances in Final Payment cases.
- 2. Correspondence and meeting with Director of Treasuries for proper and complete submission of schedules, mention correct account numbers-names of GPF subscribers to avoid missing credits and unposted items.
- 3. Workshop with TOs/DDOs to submit schedules in complete shape.

Final Payment Cases.

Effective measures are being undertaken for the clearance of Final Payment cases at the earliest and within the stipulated time.

The position of receipt and clearance of Final Payment cases up to the month of May - 2024 is as under:-

Year	Cases	Cases	Cases	Cases
	outstanding	received upto	Cleared up to	outstanding at
	as on 1 st	31 May	30 May	the end of
	April 2024	-2024	-2024	May-2024
2024-25	397	1265	1151	511

Missing and un-posted items.

With a view to reduce the number of the missing and un posted items, all efforts have been made to prevent fresh accretion of missing and un posted items along with speedy settlement of the outstanding balances by posting of full details and correcting the various wrong account numbers.

The position of such items as on 31 May -2024 for First months is indicated below:-

Item Name & Year	O.B. as	Addition	Clearance	Closing
	on 1st	during	during the	Balance at
	April	the period	period	the end of
	2024			May
				2024
Missing Credits 2024-25,	102396	Nil	9796	92600
Upto 31 May-2024				
Missing Debit 2024-25,	Nil	Nil	Nil	Nil
Upto 31 May-2024				
Un posted Credits 2024-25,	07	Nil	Nil	02
Upto 31 May-2024				

Un posted Debit 2024-25,	Nil	Nil	Nil	Nil
Upto 31 May-2024				

- 1 Missing credit in the GPF Account are mainly due to non-furnishing of sufficient or incorrect information in the General Provident Fund Schedules prepared by Drawing and Disbursing Officers and transferred by treasuries. The matter has been taken up with the State Government and Director (Treasury) for providing the correct and complete schedules.
- 2 These missing items are being cleared with the help of collateral evidence i.e. pass books of subscribers provide by DDOs. The details of pass book are also being brought by various peripatetic parties send from various fund sections to different DDO's. The details are also being received from DDOs through general correspondence.

General (Ordinary) letters.

Each ordinary letters and other complaint cases are regularly diarized and are cleared as quickly as possible after receiving the wanting details from DDO's. At present these have increased due to subscriber being aware of the missing items. However, in near future these complaints are expected to go down and subscribers GPF account will be fully rectified.

Details of clearance of ordinary letters for the month of April -2024 is given below:-

Year	Clearance of OD letters during the period
2024-25, Upto 31 May -2024	2316

Flow of work & Role of Co-ordinating Section.

The Schedule/Voucher/Challans are received in the O/o the A.G.(A&E)-I and passed on to A.G.(A&E)-II. Credit posting section passes it to different posters for posting in subscriber's account. DBA Cell provides them technical support. During posting the missing and unposted items are generated due to wanting schedules and incorrect name and GPF number of subscribers. Steps are taken to reduce these missing and unposted items.

The manual sections look after the clearance of Final Payment, 90% reconciliation, CAG cases, and other complaint cases and the Fund-I keeps close watch on them. While DAG Funds Cell also keeps a check of Final Payment, CAG, AG and DAG cases.

The Fund-I section co-ordinates of these activities and put up various Head Quarters report and weekly reports to DAG and AG. It also controls TEs made by all manual sections. All other miscellaneous work related to fund wings is also managed by this section.

826 minus balance cases were outstanding at the end of May- 2024, for which reminder/recovery letter has been sent to concerned DDO/subscribers.

The report of reconciliation cases/CAG cases and final payment cases are uploaded monthly and fortnightly on website of this office, which is helpful to the subscribers to know their GPF status.

TAD Wing

- 1. VLC wing is headed by Dy. Accountant General (TAD & VLC) who is assisted by one Branch Officer.
- 2. TAD Wing deals with the Treasury Accounts of State's Treasuries related with the different Departments and their Major Heads. Compilation work is done by seven D.C. Sections in VLC package. This compilation is of primary nature as it is done with initial documents i.e. vouchers and receipts schedules and monthly data sent to O/o the PAG(A&E)- I for merger.
- 3. Details of Major Head, dealt by this office for compilation work are as under:-Payments: 2014, 2030, 2210, 2211, 2215, 2216, 2217, 2401, 2402,2403, 2404, 2405, 2415, 2416,2425, 2435, 2501, 2506, 2705, 4210, 4211, 4215, 4216, 4217, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4415, 4425 4435 and 7610/8000 related with above revenue expenditure heads.

Receipts: - 0030, 0210, 0211, 0215, 0216, 0217, 0401, 0403, 0404, 0405, 0415, 0425, 0435, 0506 and capital Receipts as per heads shown in payments.

4.Total No. of Vouchers compiled up to 04/2024 in the year 23-24 as on 31-05-2024 = 27817

Total receipt schedule compiled up to 03/2024 in the year 2023-24 = 764

5. Position of outstanding in D.A.A. Suspense to 04/2024 in 2023-24 as on 31.05.2024

- (i) Payment 0.79 Crore
- Receipt
- 0.02 crore
- 6. Position of outstanding O.B. Suspense up to 04/2024 in 2023-24 as on 31.05.2024 in payment heads 0.07 Crores
- 7. Outstanding amount of A.C. bills up to **04/2024** (ending **31.05.2024**) 0.4936 Crores.

(ii)

VLC Wing

- 1. VLC wing is headed by Dy. Accountant General (VLC) who is assisted by one Branch Officer.
- 2. VLC package is currently running on platform of LINUX and Oracle 11g. Original package was developed by M/s Tata Consultancy Service. Certain components were modified by M/s CMC Ltd. New Delhi in the year 2009-10.
- 3. Project of Technical up-gradation of VLC is completed by M/s CMC Ltd. New Delhi and original platforms are being replaced by Linux and Oracle 11g. The Project is implemented from month Aug.2012.
- 4. VLC set up is presently centralized in a hall at IInd floor of the building where officials of TAD & WAD wings capture their accounts on nodes divided in cabins. There was a plan of decentralization of nodes with their placements in respective, sections of WAD &TAD with modular furniture by 2018-19, but its still awaited.

AUTHORITY OF PENSION

- 1. The U.P. Govt. has taken over the work related to Pension of State Govt. Employees w.e.f 30/09/1988. However, the revision of pension, family pension and other related misc. work of those State Govt. employees who have retired/died prior to 30/09/1988 are still being done by this office.
- 2. Though the Central Govt. has transferred the Pension work relating to Central Employees to Central Pay and Accounts Office from 01/01/1990, but still the issue of the Payment Authorities in r/o Pension Revision, Family Pension, Commutation, Ex-Gratia Allowance of Burma Civil Pensioners are still being carried out by this office i.e. by Accountant General (A&E)-II, U.P. Prayagraj.
- 3. After the implementation of Pay Revision w.e.f. 01/01/1986 by the State Govt., keeping view the requirement of revision, the revision work of Pension, Family, Pension revision of pension of death cases and revision of Gratuity of those employees who retired/died after 01/01/1986, but before 30/09/1988, are still being carried out by this office, after receiving the Pension papers from the concerned department.
- 4. The pension payment authority issued to all the Treasuries of U.P. including those pensioners of U.P. Govt., who want to draw pension from other states, the Special Seal Authority is still being issued by this office to concerned Accountant General Office of that state. Similarly, the govt employees of other state who want to draw pension from U.P., the Authority is being issued to concerned treasuries by this office on the basis of Special Seal Authority. The other state pensioners drawing pension from various treasuries of U.P., the Accountant General Office (A&E)-II, U.P.Prayagraj,

also undertakes the work of issuing orders from time to time regarding enhancement of Dearness relief on pension to all the Treasuries of U.P.

5. Settlement of Pension Cases during the m/o May -2024 is as given Below:

YEAR	BALANCE	RECEIPT	SETTLEMENT	BALANCE
	OPENING	DURING	DURING THE	CLOSING
		THE MONTH	MONTH	
		April -2024	May-2024	
2024-25	00	46	37	09

6.Legal Cell Section has been established for settlement of legal notices and court cases in respect of Pension of retired State Govt. employees. Settlement of Pension Revision Cases, Authority Letter under Special Seal received from Accountants General of other State, Complaint Cases received from Head Quarter, Legal Notices and Court Case during the m/o May- 2024 are as under:-

CATEGORY	OPENING	RECEIPT	SETTLEMENT	CLOSING
	BALANCE	DURING -	DURING THE	BALANCE
		April -2024	MONTH of	
			May -2024	
Revision Cases	00	19	17	02
Special Seal	00	63	63	00
Authorities received				
from other AGs				
Complaint Cases	00	07	07	00
received from CAG				
office,				
Authority issued by	00	04	04	00
Pension Central				
GO,CPC Notice	00	01	01	00

Writ Petition &Court	154	02	06	150
Case				

Accounting Functions of Works Group

- **4.1** WorkAccounts Group, consisting of 15 sections, function under overall supervision and guidance of a Group Officer designated as Deputy Accountant General (Works). Basic functions of this group are as under:-
 - (a) Scrutiny of initial Accounts received from Divisional Offices under the Departments of Public Works, Irrigation, Minor Irrigation, Rural Engineering Department and Ground Water of the State of Uttar Pradesh.
 - (b) Preparation of data sheets (month wise and division wise) and their posting on computer.
 - (c) Posting of Establishment and Works(after implementation of Treasury System in Works accounts) account received from 78 Treasuries in respect of Public Work and Irrigation Department.
 - (d) Quarterly reconciliation of accounts with the figures of Division.
 - (e) Maintenance of various works Broadsheets and Broadsheets of HBA& MCA in r/o employees of the Departments of Public Works and Irrigation.
 - (f) Preparation of the statements of the Finance and Appropriation Accounts of the Departments of Public Works and Irrigation.
 - (g) Cadre management of DA(s)/DAO(s), finalization of their personal claims and imparting training to newly recruited Divisional Accountants (Probationers).
 - (h) Monthly Account Details are uploaded on website w.e.f. 4/15. This information is communicated to all concerned Secretaries & Divisional Officers.
- **4.1.1 Works Coordination Cell (WC Cell)** is the coordinating section of the Works Group. The section is responsible for deployment of personnel and intersectional transfer within wing. The section submits various Returns/Reports due to TM (Central) and Administration section of the office on due dates. It also prepares Annual Review of the Wing. Annual Review Report for the year 2022-23 has been uploaded by the Computer/Cell Section on Office website..

The section collects information regarding points to be raised in High Power Committee meetings held from time to time.

Efforts are made to improve the quality of accounts. W.C. Cell issues office orders/instructions to sections concerned from time to time to keep watch over quality of compiled accounts received from divisions.

This section compiles M.I.S. report incorporating various deficiencies / shortcomings noticed in the divisional compiled accounts to be sent to respective Finance Controllers, HODs and Secretaries with a request to issue appropriate directions to their subordinates/DOs relating to improvements in accounts.

- **4.1.2 Book (Works) / F&A section** keeps watch over expenditure incurred and sends monthly appropriation along with comments regarding excess expenditure, (-) expenditure, expenditure without budget to the departmental Pr. Secretaries and HODs. The Section has also been entrusted with the responsibility of CCO reconciliation of treasury accounts pertaining to work wing.
- **4.1.3** <u>Works Accounts Sections:</u> At present there are 8 works accounting sections i.e. WA-1 to WA-8, in the coordination. These sections are responsible for scrutiny of the compiled monthly Accounts and their posting on the VLC system received from **732** Engineering Divisions (detailed below) of the State of Utter Pradesh at present. Besides the also deals with the received from treasury in respect of Gr/MH pertaining to Remitance Deptt.(Except Establishment)W.A sections also carry out Quarterly reconciliation of figures with Divisional Officers.

These sections also maintain Works Broadsheets viz. Public Works Remittance (Head-1, Head-2) Public Works Deposit, MPSSA, CSSA etc., to monitor the clearance of outstanding balances and carry out correspondence related thereto, prepare reports/provide information related to the Broadsheets.

Account up to 04/2024 has been completed.

Department-wise position of Divisions rendering accounts is as under:-

	Departments	Number of divisions rendering compiled accounts
(i)	Public Works	241
(ii)	Irrigation	365
(iii)	Rural Engineering Deptt.	75
(iv)	Minor Irrigation	37
(v)	Ground Water	14
	Total	732

- 4.1.4 WE (C) and IE (c) Sections deal with Treasury accounts of Establishment of PWD Irrigation divisions, Broad-sheets relating to DAA and O.B. Suspense. Suspense raised during the year under DAA suspense & OB suspense are cleared by obtaining requisite information / records from concerned units. These sections are also responsible for maintenance of Broad-sheets of HBA & MCA of the department of Public Works and Irrigation of the State of Uttar Pradesh. Annual Statements and NDCs are issued to all the Loanees by the sections.
- **4.1.5** The cadre of Divisional Accountants/DAO(s) is managed by WM-1 Section. The section, in addition to transfer and posting of DA(s) also deals with their promotion to higher grades, confirmation on the post of DA, Disciplinary cases and complaints against DA(s)/DAO(s). The gradation list of the incumbents of the DA's Cadre as on 01.03.2023 was updated and compiled by the section.

Personal claims of DA(s)/DAO(s) are promptly finalized by the WM-2 section.

The grade-wise and category wise incumbents in the cadre of DA(s) as on 01.06.2024 was as under:-

As on 01.06.2024

	Cadre	ss	PIP	Male	Female	UR	EWS	sc	ST	ОВС	Ex Ser	ОН	VH	нн
1	Sr. DAO	109	89	88	01	57	NIL	24	08	NIL	NIL	04(UR) 01 (ST)	NIL	NIL
2	DAO Grade-1	182	179	174	05	88	NIL	36	13	42	NIL	02(OBC)	NIL	NIL
3	DAO Grade-2	182	172	165	07	91	NIL	24	06	51	04	03(UR 03(OBC)	01 (OBC)	02 (UR)
4	DA	255	149	139	10	76	NIL	14	03	56	NIL	03(OBC) 02(UR)	NIL	01(OBC) 01(UR)
			89	83	06	15	21	18	13	22	01 (UR)	02(UR)	Nil	Nil

ers) Total	728	678	649	29	327	21	116	44	171	05	21	01	04
(Probation											01 (EWS)		
DA													

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

2023-2024

प्रशासनिक प्रतिवेदन

मई - 2024-2025

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संगठनात्मक ढांचा

(31-05-2024)

डॉ॰ सुरेन्द्र कुमार, महालेखाकार द्वारा लेखा एवं हकदारी, द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यालय का प्रभार देखा जा रहा है ।

वर्गाधिकारियों के कार्यभार निमन्वत है:-

क्रम	वर्गाधिकारी का नाम	कार्यभार
संख्या		
2.	श्री अभिषेक कुमार, उप	प्रशासन समन्वय एवं डी.ए.सी
	महालेखाकार	सी वर्ग का (अतिरिक्त प्रभार) एवं निधि वर्ग का कार्यभार ।
3.	श्री राज कुमार, उप	पेंशन एवं जी.ई. वर्ग, निर्माण
	महालेखाकार	वर्ग एवं राजकोष एवं
		वी.एल.सी. वर्ग का कार्यभार

प्रशासनिक प्रतिवेदन (प्रशासन समन्वय)

1. ਕ੍ਰਟ-2024-25

शीर्ष	बजट (Rupees)	व्यय (04/2024 (In Rupees)
वेतन मजदूरी एवं समयोपरि भता	248986200	67925410
पुरस्कार	0	0
भता	180665920	53291470
छुट्टी यात्रा रियायत	605210	157450
यात्रा भता	1352000	556300
किराया शुल्क तथाकर	NIL	NIL
कार्यालय व्यय	15345250	2971210

01-सेवा निवृत्त- कार्यालय को अपनी पूर्ण सेवा प्रदान करने के उपरान्त 31.05.2024 तक अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत हुए है ।

क्र॰सं॰	नाम एवं पदनाम सर्वश्री	व्यक्तिगत सं॰	सेवा निवृत्त तिथि/मृत्यु
1.	राम नरेश	M/2270	30.04.2024
2.	नीता सिंह	D/2407	30.04.2024
3.	ओम प्रकाश	E/3450	30.04.2024
4.	दिनेश कुमार आर्य	M/2584	31.05.2024
5.	विनय कुमार कनोजिया	M/2500	31.05.2024
6.	महेंद्र प्रताप	D/1610	31.05.2024
7.	अशोक कुमार	D/3345	31.05.2024

<u>प्रशिक्षण</u>

इन हाउस प्रशिक्षण (जनरल एवं ई॰ डी॰ पी॰) 01.04.2024 से 31.05.2024

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों
क्र॰सं॰	·		की संख्या
01	बेसिक ट्रेनिंग ON Ms word (विथ यूनिकोड टाइप)	15.04.2024 -16.04.2024	04
02	ट्रेनिंग ऑन e- ऑफिस	24.04.2024 -25.04.2024	04
03	राइट तो इन्फॉर्मेशन एक्ट2005	15.04.2024 -16.04.2024	07
04	रेफ्रेशर कोर्स फॉर फ़ंड coordination	24.04.2024 -25.04.2024	10
05	वर्किंग ऑफ पेंशन	09.05.2024 -10.05.2024	5
06	ट्रेनिंग ऑन ई- एच र एएम एस	14.05.2024-15.05.2024	4
07	कोर्स ऑफ जी पी अफ मोडुल	28.05.2024-29.05.2024	4
08	हैंडिलिंग ऑफ लीगल केसेस	29.05.2024-30.05.2024	6

आर॰ टी॰ आई॰प्रशिक्षण (सामान्य एवं ई॰डी॰ पी॰) 01.04.2024 से 31.05.2024 तक

	l		
क्र॰सं॰	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों
			की संख्या
01	इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर नेवली प्रमोटेड	01.04.2024 -10.05.2024	09
	AAOs/ DRAAOs/ Supervision		
02	ऑडिट ऑफ प्रोक्रुमेंट through	08.04.2024 -10.04.2024	03
	Gem		
03	गवर्नमेंट अकाउंटिंग Standards	18.04.2024 -19.04.2024	04
	Advisary Board (GASAB)		
04	कोर्स ऑन e-office विथ e HRMS	22.04.2024 -24.04.2024	02
05	सस्पेन्स अकाउंट, ट्रान्सफर	01.05.2024- 03-05-2024	7
	अकाउंट, ट्रान्सफर एंट्रीस, बुक (सी)		
	ऑर विबिध प्रकरण		
	एडवांस कौर्स ऑन, एएम एस वर्ड	06.05.2024-10.05.2024	2
06	अँड पावर पॉइंट		
07	सेमिनार ऑन राइट टु इन्फॉर्मेशन	20.05.2024-21.05.2024	2
	एक्ट		

क्र॰सं॰	नाम	वर्ष
1	प्रोसीडुअल मैनुअल ऑफ वी॰एल॰सी॰	2005
2	वर्क्स मैनुअल	2008
3	पेंशन मैनुअल	2006
4	जी॰ ई॰ मैनुअल	2006
5	फारेस्ट मैनुअल	1992

राजभाषा नीति का क्रियान्वयन

<u>बैठक</u> – शून्य

<u>हिंदी कार्यशाला</u> – **शून्य**

<u>नामांकन</u>- – शून्य

निरीक्षण- शून्य

IT इन्फ्रस्ट्रक्चर

कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यालय की आवश्यकताओं, उनकी खरीद, भौतिक सत्यापन तथा वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध, का कार्य इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

कार्यालय के अन्तर्गत हार्डवेयर की संख्या:

क्रम	हार्डवेयर का नाम	सख्या
1	सर्वर	19
2	कम्प्यूटर	608
3	प्रिटर	112
4	यूपीएस	388

5	स्कैनर	17
6	लैपटांप	90

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते है:-

- 1. कम्प्यूटर स्टेशनरी, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय किया जाता है।
- 2. कार्यालय इन्ट्रानेट का रखरखाव। सभी मैनुअल, पदक्रम सूची, अवकाश लेखा, कार्यालय आदेश एवं परिपत्र कार्यालय इन्ट्रानेट पर अपलोड किये जाते है एवं उनका अद्यतन भी किया जाता है।
- 3. कम्पोजिट वेबसाइट, एवं आई0टी0 सिक्योरिटी से सम्बंधित मामले भी देखे जाते हैं।
- 4. वी0एल0सी0 एवं जी0पी0एफ0 का परिवंतित प्रबंधन।
- 5. आई0एफ0एम0एस0 के अर्न्तगत इन्टरफेस के तकनीकी पहलूओं से सम्बंधित कार्य।
- 6. कम्प्यूटर हार्डवेयर के एएमसी एवं नेटवर्किंग का कार्य थर्ड पार्टी वेन्डर द्वारा किया जाता है।
- 7. सीसीटीवी एवं बायोमेट्रिक का कार्य थर्ड पार्टी वेन्डर द्वारा किया जाता है।
- 8. वेब आधारित इंवैंट्री में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अद्यतन किया जाता है।
- 9. उत्तर प्रदेश सरकार के जीपीएफ ग्राहकों के लिए एस0एम0एस सेवाओं की खरीद की जाती है।

हकदारी सम्बन्धी कार्य सामान्य भविष्य निधि समन्वय

सामान्य भविष्य निधि :-

उप महालेखाकार निधि के प्रभार में निधि समन्वय उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि, पशुपालन, सहकारिता विधि एवं न्याय , लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण , सिंचाई , लोक निर्माण एवं वन विभागों के कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोडकर) के भविष्य निधि लेखे का रख रखाव करता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विगत मई 1985 से सामान्य भविष्य निधि उत्तर प्रदेश नियमावली 1985 के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के हितार्थ उनके सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके भविष्य निधि खाते में जमा अथवा भविष्य निधि खाते से आहरित धनराशियों का लेखा पासबुकों में रखे जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई जिसमें अभिदाता की मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति के समय उनके नामांकित उत्तराधिकारी अथवा स्वयं उसे पासबुक में अंतिम अवशेष राशि का 90 प्रतिशत भुगतान करने की आज्ञा विहित थी । सेवा निवृत्त / दिवंगत अभिदाता के भविष्य निधि खाते की अवशिष्ट 10 प्रतिशत राशि का भुगतान, सम्पूर्ण निधि प्रकरण की आद्योपान्त जांच के उपरान्त, इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत किया जाता है । आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता पासबुक में प्रविष्टियों तथा इस कार्यालय के निधि अनुभागों द्वारा रखे जाने वाले निधि लेखे के बीच की विसंगतियों के अंतिम समाधान का अतिरिक्त कार्य भार भी इस कार्यालय द्वारा वहन किया जाता है।

इस कार्यालय द्वारा राज्य सरकार कर्मियों के भविष्य निधि लेखे के वार्षिक विवरणों को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के पूर्व व्यापक रूप से प्रचारित व प्रसारित किया जाता है। वर्ष 2022—2023 का लेखा विवरण दिनांक 28.06.2023 को इस कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड कर दी गयी है जिसे कोई अभिदाता पिन नम्बर/जन्म तिथि के आधार पर मुद्रित कर सकता है। इस प्रकार अभिदाता को उसकी वार्षिक लेखा स्थित से उसे अवगत कराया जाता है और किसी विसंगति की स्थिति में इस कार्यालय से पत्राचार करना होता है। वित्त मंत्रालय, उ०प्र० सरकार द्वारा अभिदाता को 90 प्रतिशत भुगतान से पूर्व कार्यालय द्वारा उसके लेखों का मिलान अनिवार्य घोषित करने के कारण कार्यालय के कार्यभार में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है।

इन माध्यमों के अतिरिक्त महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पधारने वाले अभिदाताओं , सेवा निवृत्त अभिदाताओं की समस्याओं के द्रुत समाधान तथा मुख्यालय से प्राप्त होने वाले शिकायत प्रकरणों के तत्काल समाधान हेतु एक सरलीकरण प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है।

तन्त्र उन्नयन

 वर्ष के दौरान महालेखाकार एवं उप महालेखाकार द्वारा निधि समन्वय की कार्य प्रणाली के उन्नयन हेतु विभिन्न कार्यों का प्रवर्तन किया गया है। भविष्य निधि खातों के लेखांकन से अंतिम भुगतान किये जाने हेतु एक शाखाधिकारी के अधीन लेखाशीर्षवार निधि समन्वय का पुर्नगठन किया गया है।

- 2. अप्राप्त शिड्यूल एवं अपूर्ण शिड्यूल का प्रकरण निदेशक, कोषागार एवं उच्च स्तरीय कमेटी में उठाया जाता है।
- 3. सामान्य भविष्य निधि आंकडे का रख-रखाव ओरेकल पैकेज में किया जा रहा हैं।
- 4. प्रत्येक माह के अंत में मासिक लेखों के प्रमाणीकरण हेतु ए०एल०पी०एम० अनुभाग को एक प्रपत्र अनुभागों द्वारा प्रदान किया गया है।
- 5. उप महालेखाकार (निधि) द्वारा समय—समय पर शाखाधिकारियों एवं अनुभाग प्रभारियों की बैठकें आहूत कर अंतिम भुगतान एवं अन्य प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की जाती है।
- 6. सामान्य भविष्य निधि भुगतान प्रपत्र में विभिन्न विवरणों की निर्वाच्यता कम करने के उद्देश्य से भुगतान प्रपत्र कम्प्यूटरीकृत कर दिये गये हैं ।
- 7. भविष्य निधि विवरणों को कुछ लेखाशीर्षों के स्थापना बीजकों के माध्यम से लेखांकित करने के लिए एक सफल प्रयोग किया गया, जो उपयोगी सिद्ध हुआ । सामान्य भविष्य निधि विवरण स्थापना बीजकों के माध्यम से लेखांकित किये जा रहे

हैं जिनमें भविष्य निधि शिड्यूल सहायक सिद्ध हो रहे हैं ।

राज्य सरकार से विचार विमर्श

राज्य सरकार से इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में विचार विमर्श हुआ है तथापि अभिदाता के विभाग से सीधे विचार विमर्श हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया है उनमें से मुख्य है—

- वित्त सचिव यू0पी0 अंतिम भुगतान मामलों में माइनस बैलेंस की राशि की वसूली / राइट—आफ जैसे जीपीएफ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के संबंध में।
- 2. शिड्यूल को उचित और पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए कोषागार निदेशक के साथ पत्राचार और बैठक, मिसिंग क्रेडिट और अनपोस्टिड आइटम से बचने के लिए अभिदाता का सही खाता संख्या—नाम का उल्लेख करें।
- 3. समुचित एवं सम्यक शिड्यूल प्रेषण हेतु अद्यतन ब्याज हेतु उच्च स्तरीय समिति से विमर्श

अंतिम भुगतान प्रकरण निर्धारित समयाविध के पूर्व ही अंतिम भुगतान प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावकारी उपाय किये गये हैं । सामान्य भविष्य निधिं के अंतिम भुगतान प्रकरणों की माह मई -2024 तक की स्थिति निम्नलिखित है:—

वर्ष	1 अप्रैल 2024 को बकाया प्रकरणों की संख्या	प्राप्त प्रकरण की संख्या	निस्तारित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल-2024 के अंत में अवशिष्ट प्रकरणों की संख्या
2024-25,	397	1265	1151	511

लुप्त एवं अपुस्तांकित आइटम :--

लुप्त एवं अपुस्तांकित आइटम्स की संख्या न्यूनतम करने के उद्देश्य से नये लुप्त एवं अपुस्तांकित आइटम्स में कमी करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं साथ ही गलत लेखा संख्याओं को शुद्व करके तथा अनिस्तारित फुलवान्ट विवरणों को लेखांकित करके पुराने आइटम्स का द्रुत गित से समायोजन किया जा रहा है:—

30 मई- 2024 तक इस प्रकार की स्थिति निमन्वत है।

आइटम तथा वर्ष	1 अप्रैल	प्राप्ति	निस्तारण	31-मई 2024 के
	2024 को			अंत में अंतिम
	प्रारम्भिक शेष			शेष
लुप्त आइटम क्रेडिट	102396	00	9796	92600
2024-25,				
30 मई-2024 तक				
लुप्त आइटम डेबिट	07	00	00	02
2024-25]				
31 मई-2024 तक				
अपुस्तांकित आइटम	07	00	05	02
क्रेडिट 2024-25 31				
मई 2024 तक				
अपुस्तांकित आइटम	00	00	00	00
डेबिट 2024-25				

31 मई -2024 तक		

इस कार्यालय द्वारा रखे जा रहे भविष्य निधि लेखों में लुप्त अभिदान प्राप्त होने का मुख्य कारण आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले शिड्यूल्स में असत्य विवरण अथवा अपर्याप्त विवरण प्रविष्ट किया जाना है।

राज्य सरकार एवं निदेशक कोषागार से सही और पूर्ण रूप से भरे हुए शिड्यूल प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया जा चुका है।

अभिदाताओं की पासबुक के आधार पर दिये गये साम्पार्श्विक साक्ष्यों के आधार पर इन लुप्त आइटम्स का समायोजन किया जा रहा है । आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अभिदाता के विवरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

साधारण पत्र

कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त प्रत्येक पत्र एवं अन्य शिकायती पत्र पंजिकाबद्व किये जाते हैं और यथाशीघ्र वांछित सूचनायें आहरण एवं वितरण अधिकारियों से मांग ली जाती है। वर्तमान समय में इस प्रकार के पत्रों में वृद्धि, अभिदाता द्वारा अपने खाते के लुप्त अंशदानों के प्रति जागरूकता के कारण हो गयी है। तथापि निकट भविष्य में अभिदाता के लेखे पूर्ण शुद्ध हो जाने के कारण इस प्रकार की शिकायतों में कमी आ जायेगी।

वर्ष 2024-25 में साधारण पत्रों के निस्तारण का विवरण निम्न है:-

वर्ष	मई- 2024 के अंत में
	निस्तारित पत्रों की संख्या
2024-25 ,31 मई -2024	2316
तक	

कार्य प्रवाह और समन्वय अनुभाग की भूमिका

प्रदेश के कोषागारों से प्रेषित शिड्यूल्स/बीजक/चालान कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम में प्राप्त होते हैं। क्रेडिट पोस्टिंग अनुभाग इस कार्यालय से सम्बधिंत शिड्यूल्स/चालान कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम से प्राप्त कर अभिदाता के लेखे मे अंकन हेतु विभिन्न पोस्टरों को भेजता हैं। अनुभागों के पोस्टरों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का दायित्व डी०बी०ए० प्रकोष्ठ वहन करता है। वांछित शिड्यूल एवं त्रुटिपूर्ण नाम, लेखा संख्याओं के कारण उत्पन्न होने वाले लुप्त अंशदानों व अपुस्तांकित आइटम्स की संख्या में वृद्धि पर अंकुश लगाने में सहायता डी०बी०एल०सेल द्वारा की जाती है। इस प्रकार के लुप्त अंशदानों व अपुस्तांकित आइटम्स की संख्या कम करने के उद्देश्य से कदम उठाये गये हैं मानव संचालित अनुभागों द्वारा लुप्त अंशदानों के निस्तारण हेतु लुप्त अंशदान/आहरण प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गयी है।

अभिदाता के अंतिम भुगतान, 90 प्रतिशत भुगतान हेतु लेखा मिलान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रेषित शिकायती प्रकरण एवं अन्य शिकायती पत्रों के निस्तारण का कार्य मानव संचालित अनुभागों द्वारा किया जाता है। निधि—1 अनुभाग इस कार्य हेतु विभिन्न अनुभागों के बीच समन्वय स्थापित करता हैं। उप महालेखाकार निधि प्रकोष्ट के द्वारा अन्तिम भुगतान , सी०ए०जी० महालेखाकार एवं उप महालेखाकार शिकायती प्रकरणों का अनुश्रवण किया गया है।

निधि समन्वय अनुभाग इन कार्यों को सम्पादित करवाकर मुख्यालय को प्रेषित की जाने वाली साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक रिपोर्ट, वरिष्ठ उप महालेखाकार एवं महालेखाकार को प्रस्तुत करता है। मानव संचालित अनुभागों द्वारा बनायी गयी अंतरण प्रविष्टियाँ का नियंत्रण भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त निधि समन्वय के अन्य विविध कार्य भी इसी अनुभाग द्वारा व्यवस्थित किये जाते हैं।

ऋणात्मक अवशेष प्रकरणों की संख्या 31 मई -2024 तक 826 थी जिसके लिये अनुस्मारक / वसूली हेतु पत्र सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी / अभिदाता को भेजे गये। निधि समन्वय को प्राप्त मिलान एवं मुख्यालय से प्राप्त शिकायती प्रकरणों की प्रगति की जानकारी प्रत्येक माह एवं अन्तिम भुगतान के प्रकरणों की प्रगति की जानकारी पाक्षिक आधार पर इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है जो कि अभिदाताओं को अद्यतन स्थिति से अवगत कराने में सहायक होता है।

<u> अध्याय-**4**</u>

निर्माण समन्वय के लेखा संबंधी कार्यः-

- 4.1 निर्माण समन्वय, जिसमें 15 अनुभाग है, वर्गाधिकारी, उप महालेखाकार/निर्माण के देख रेख में कार्य करता है। इसके कार्य निम्नलिखितहै:-
 - 1) 30प्र0 के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियत्रण विभाग, भूगर्भ जल के खण्डीय कार्यालयों से प्राप्त प्रारंभिक लेखों की जाँच।
 - 2) डाटाशीट (माहवार एवं खण्डवार) तैयार करना एवं उसकी कम्प्यूटर में पोस्टिंग।
 - 3) लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के 78 कोशागारों से प्राप्त स्थापना एवं निर्माण कार्यों के लेखों को (कार्य लेखाओं में कोशागार व्यवस्था लागू होने के पश्चात) कम्प्युटर में प्रविष्ट करना।
 - 4) खण्डों के भ्गतान एवं प्राप्तियों की धनराशियों का कार्यालय के लेखे से त्रैमासिक मिलान।
 - 5) विभिन्न निर्माण ब्राडशीट और लोक निर्माण तथा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम और मोटर वाहन अग्रिम के ब्राडशीटों का रख रखाव।
 - 6) लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के वित्त एवं विनियोग लेखे से सम्बन्धित स्टेटमेन्ट बनाना।
 - 7) खण्डीय लेखाकार/लेखाधिकारी कैडर का प्रबंधन उनके व्यक्तिगत दावों का निपटान और नयी भर्ती किये गये परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकारों को प्रशिक्षण देना।
 - 8) मासिक लेखा विवरण माह 04/2015 से लगातार बेवसाइट पर अपलोड की जा रही है, जिसकी सूचना सभी सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों एवं खण्डीय कार्यालयों को प्रेषित की जा चुकी है।
- 4.1.1 निर्माण समन्वय प्रकाेष्ठ, निर्माण समन्वय का समन्वय प्रशासनिक अनुभाग है। यह अनुभाग कर्मचारियो/अधिकारियों की तैनाती एवं समन्वय के अंदर अंत्रअनुभागीय स्थानान्तरण का कार्य करता है। अनुभाग राजकोष विविध एवं प्रशासन अनुभाग को विभिन्न रिटर्न एवं रिपोर्ट समय से प्रेषित करता है यह अभियांत्रिक खण्डों की कार्य प्रणाली पर आधारित वार्षिक समीक्षा भी तैयार करता है। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2022-23 कम्प्यूटर/सेल अनुभाग द्वारा कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है।
 - अनुभाग राज्य सरकार की स्थायी समिति की समय समय पर होने वाली बैठकों में उठाये जाने वाले मुद्दों से सबंधित प्रस्ताव तैयार करता है तथा लिये गये निर्णय पर कार्यवाही सुनिश्चित करता है। लेखे की गुणवत्ता सुधारने हेतु समय समय पर संबंधित अनुभागों को खण्डों से प्राप्त लेखों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने हेत् कार्यालय आदेश/निर्देश जारी करता है।
 - सुधार के प्रयास जारी रखते हुए खण्डों के संकलित लेखों में पायी गयी त्रुटियों/किमियों को सिम्मिलित करते हुए एम0आई0एस0िरपोर्ट संबंधित वित्त नियंत्रक विभागाध्यक्ष एवं विभागीय प्रमुख सिचव को इस अनुरोध के साथ प्रतिमाह प्रेषित की जाती है कि उनके द्वारा अपने मातहतों/खण्डीय अधिकारियों को लेखे में सुधार हेतु उचित निर्देश जारी किये जाये।
- 4.1.2 बुक वक्रस/वित एवं विनियोग, किये गये व्यय पर निगरानी रखता है और अधिक व्यय ऋणात्मक व्यय बिना बजट के व्यय पर मासिक विनियोग लेखे पर टिप्पणी के साथ विभागीय प्रमुख सचिवों विभगाध्यक्षों एवं विभागीय वित्त नियंत्रक को प्रेषित करता है।

4.1.3 निर्माण लेखा अनुभाग, वर्तमान में निर्माण लेखे में 8 अनुभाग (नि0ले0-1 से नि0ले0-8 तक) हैं। ये अनुभाग 732 अभियंत्रण खण्डों से जिनका वर्णन नीचे किया गया है से प्राप्त संकलित मासिक लेखों की जांच करते हैं एवं उनकी वी0एल0सी0 सिस्टम पर प्रविष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त रेमिटान्स विभागों के व्यय के लेखे जो ट्रेजरी से प्राप्त होते हैं (अधिस्ठान के अतिरिक्त) उनके लेखांकन का उत्तरदायित्व भी इन्ही अनुभागों पर है। ये अनुभाग खण्डों के प्राप्ति एवं व्यय की धनराशियों का त्रैमासिक मिलान भी करते हैं।

ये अनुभाग निर्माण ब्राडशीट यथा लोक निर्माण प्रेषण (हेड-1 एवं ।।) लोक निर्माण जमा नकद परिशोधन उचन्त लेखा सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा इत्यादि का रख रखाव करते हैं, इनमें दर्शाये जा रहे अवशेषों के निस्तारण पर निगरानी रखते हैं और इस सम्बन्ध में आवश्यक पत्राचार भी करते हैं। ब्राडशीट से संबंधित रिपोर्ट तैयार करते हैं और वांछित सूचना प्रदान करते हैं।

04/2024 का लेखाकार्य पूर्ण हो गया है।

संकलित लेखा प्रेषित करने वाले खण्डों की विभागवार स्थिति निम्नवत् है:-

क्रम	विभाग	संकलित लेखा प्रेषित करने वाले खण्डों की संख्या
संख्या		
1	लोक निर्माण	241
2	सिंचाई	365
3	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	75
4	लघु सिंचाई	37
5	भूगर्भ जल	14
	योग	73 2

4.1.4 निर्माण अधिष्ठान (सं0) एवं सिंचाई अधिष्ठान (सं0) अनुभाग लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिष्ठान के कोषागार लेखों का लेखांकन विभागीय समायोजन लेखा उचन्त, आपित पुस्तिका उचन्त से संबंधित कार्य करते हैं। वर्ष के दौरान विभागीय समायोजन लेखा उचन्त/आपित पुस्तिका उचन्त से संबंधित कार्य करते हैं। वर्ष के दौरान विभागीय समायोजन लेखा उचन्त /आपित पुस्तिका उचंत के अंतर्गत पुस्तांकित उचन्त को संबंधित इकाइयों से आवश्यक सूचना /अभिलेख प्राप्त करके निस्तारित कर दिया जाता है। ये अनुभाग उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की गृह निर्माण अग्रिम एवं मोटर वाहन अग्रिम से संबंधित ब्राडशीट का रख रखाव करते हैं। इन अनुभागों द्वारा अग्रिम धारक को वार्षिक विवरण और अनापित प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं। इन अनुभागों द्वारा नियंत्रक अधिकारियों के प्राप्ति एवं व्यय की धनराशियों का त्रैमासिक मिलान किया जाता है।

4.1.5 खण्डीय लेखाकार/लेखाधिकारी संवर्ग का प्रबंधन निर्माण विविध प्रथम अनुभाग द्वारा किया जाता है। उनके स्थानांतरण एवं पदस्थापना के अतिरिक्त उच्च ग्रेड में पदोन्नति खण्डीय लेखाकार पद पर स्थायीकरण उनके अनुशासनात्मक प्रकरण शिकायतों सम्बन्धी प्रकरण सम्पादित किये जाते हैं। खण्डीय लेखाकार कैडर की पद क्रम सूची (1.03.2023) अद्यतन कर दी गयी है। खण्डीय लेखाकार/लेखाधिकारी के वैयक्तिक दावों का निपटान त्वरित गति से निर्माण विविध-2 अनुभाग द्वारा किया जाता है।

	संवर्ग	स्वीकृ त सं 0	पी0आ ई0पी 0	पुरूष	महि ला	सामा न्य	आर्थि क रूप से कम जोर	अनूसू चित जाति	अनूसू चित जनजा ति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूत0 सैनि क	ओ0 एच 0	वी0एच 0	एच0एच0
1	वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिका री	109	89	88	01	57	शून्य	24	08	शून्य	शून्य	04 अनारक्षित 01 अ॰ज॰जा ॰	शून्य	शून्य
2	खण्डीय लेखाधिका री ग्रेड- 1	182	179	174	05	88	शून्य	36	13	42	शून्य	02 अ॰पि॰व॰	शून्य	शून्य
3	खण्डीय लेखाधिका री ग्रेड-2	182	172	165	07	91	शून्य	24	06	51	04	03 अनारक्षित 03 अ॰पि॰व॰	01 স৹ত্ত ত্যা৹	02 अनारक्षि त
4	खण्डीय लेखाकार		149	139	10	76	शून्य	14	03	56	शून्य	02 अनारक्षित 03 अ॰पि॰व॰	शून्य	01 अनारक्षि त 01 अ॰पि॰व॰
5	खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षा धीन)	255	89	83	06	15	21	18	13	22	01 अना रक्षि त	02 अनारक्षित 01(आर्थि क रूप से कमजोर)	शून्य	शून्य
	योग	728	678	649	29	327	21	116	43	171	05	21	01	04

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30.09.88 या उसके बाद सेवा निवृत राजकीय कर्मचारियों का पेंशन सम्बन्धी कार्य ले लिया गया है। तथापि 30.09.88 से पूर्व सेवा निवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों की पेंशन के पुनरीक्षण , पारिवारिक पेंशन आदि का कार्य इस कार्यालय द्वारा सम्पादित किया जाता है।
- यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों का कार्य भी केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी को 01.01.90 से स्थानांतरित किया जा चुका है, तथापि पेंशन पुनरीक्षण पारिवारिक पेंशन ,सारांशीकरण, वर्मा एक्स ग्रेसिया भत्ता के भुगतान हेतु प्राधिकरण का कार्य इस कार्यालय द्वारा किया जाता है ।
- प्रदेश सरकार द्वारा 01.01.86 से नये वेतनमान में पुनरीक्षित किये जाने के परिणाम स्वरूप पेंशन तथा मृत्यु एवं निवृत्ति उपादान के पुनरीक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 01.01.86 या उसके बाद और 30.09.88 से पहले सेवा निवृत्त पेंशन भोगियों एवं दिवंगत राजकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का पुनरीक्षण उनके संबंधित विभागों से पेंशन प्रपत्र आदि प्राप्त होने के बाद इस कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- राज्य के अंतर्गत कोषागारों से पेंशन हेतु भुगतान प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उन पेंशन भोगियों को जो प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं , भुगतान हेतु सम्बन्धित महालेखाकारों को विशिष्ट मुद्रा प्राधिकार पत्र निर्गत करने तथा अन्य राज्यों के कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश में भुगतान प्राप्त करने के निमित्त अन्य महालेखाकारों से प्राप्त विशिष्ट प्राधिकार पत्रों के आधार पर पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र निर्गत करने का कार्य इस कार्यालय से सम्पादित होता है। उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागारों से भुगतान पा रहे अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों को समय समय पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा देय राहत की स्वीकृति कोषागारों को परिचालित करने का कार्य भी महालेखाकार (लेखा व हकदारी)द्वितीय के कार्यालय से ही होता है

मई -2024 में निस्तारित किए पेंशन प्रकरणो का विवरण निमन्वत है।

वर्ष	अवशिष्ट प्रकरण	अप्रैल- 2024	मई -2024	अवशिष्ट
		के दौरान प्राप्त	के दौरान	प्रकरण
		प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	
2024-25	00	46	37	09

प्रदेशीय सरकारी कर्मचारियों सेवा निवृत द्वारा दायर पेंशिन संबंधी न्यायालयीय प्रकरणों तथा
 कानूनी नोटिसों के निपटान के लिए लीगल सेल की स्थापना की गई है। मई—2024 में पेंशन लेखा संवर्ग द्वारा निम्नलिखित पुनरीक्षण प्रकरण, अन्य महालेखाकारों से प्राप्त विशिष्ट मुद्रा
 प्राधिकार पत्र तथा मुख्यालय से प्राप्त शिकायती प्रकरणों के साथ ही कानूनी नाटिस एवं न्यायालयीय प्रकरणों का निपटान किया गया है।

कोटि	अवशिष्ट	<u>मार्च -2023</u>	अप्रैल-2024 के	अवशिष्ट
	प्रकरण	<u>के दौरान</u> <u>प्राप्तियाँ</u>	दौरान निस्तारित	प्रकरण
			प्रकरण	
1. पुनरीक्षण प्रकरण	00	19	17	02
2.अन्य महालेखाकारों से	00	63	63	00
प्राप्त विशिष्ट मुद्रा				
प्राधिकार पत्र।				
3-नियंत्रक महालेखा परीक्षक	00	07	07	00
कार्यालय से प्राप्त				
शिकायती प्रकरण,				
4.प्राधिकार पत्र पेंशन सेंट्रल	00	04	04	00
द्वारा निर्गत				
5.कानूनी नोटिस	00	01	01	00
(GO,CPCNotice)				

राजकोष समन्वय

- 1. वी०एल०सी० समन्वय उप महालेखाकार (राजकोष व वी०एल०सी०) के अधीनस्थ कार्य करता है जिसके कार्य सम्पादन हेतु एक शाखाधिकारी नियुक्त हैं ।
- 2. आवंटित विभागों से सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के कोषागार लेखे का कार्य राजकोष समन्वय द्वारा किया जाता है। लेखा संकलन का कार्य कुल सात डी०सी० अनुभागों द्वारा वी०एल०सी० पैकेज पर किये जाते हैं।
- 3. लेखा संकलन का कार्य निम्नलिखित मुख्य लेखाशीर्षों से सम्बन्धित है। व्यय शीर्ष

2014,2030, 2210, 2211, 2215, 2216,2217, 2401,2402, 2403, 2404, 2405, 2415, 2416, 2425, 2435, 2501, 2506, 2705, 4210, 4211, 4215, 4216, 4217, 4401,4402, 4403, 4404, 4405, 4415, 4425, 4435, एवं 7610 / 8000 जो उक्त राजस्व शीर्ष से सम्बन्धित है । प्राप्ति शीर्ष

0030, 0210, 0211, 0215, 0216, 0217, 0401, 0403, 0404, 0405, 0415, 0425, 0435, 0506, एवं पूंजीगत व्यय जो ऊपर उल्लेखित श्रेणी से सम्बन्धित पूंजीगत प्राप्तियाँ |

4.वित्तीय वर्ष 2024—25 के माह 04/2024 तक कुल लेखा संकलित किये गये वाउचरों की संख्या —27817

वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह 04/2024 तक कुल प्राप्ति

अनुसूचियां जिसे लेखांकित किया गया है - 764

5 वित्तीय वर्ष 2024—25 माह 04/2024 के लेखाबंदी तक विभागीय उचन्त की लिम्बत धनराशि निम्नवत् है

व्यय शीर्ष 0.79 करोड

प्राप्ति शीर्ष 0.02 करोड

- 6. वित्तीय वर्ष 2024—25 के माह 04 / 2024 तक के लेखाबन्दी के पश्चात् ;िदनांक (31/05/2024) तक आपत्ति पुस्तिका उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल धनराशि रू० 0.07 करोड लम्बित है ।
- 7. ए. सी. बिल की दिनांक 04/2024 की कुल धन राशि रु 0.4936 करोड़ निस्तारण हेतु लंबित है।

वी0 एल0 सी0 समन्वय

वी०एल०सी० समन्वयउप महालेखाकार (वी०एल०सी०) के अधीनस्थ कार्य करता है। जिसके कार्य सम्पादन हेतु 01 शाखाधिकारी नियुक्त है।

- 1. वर्तमान के वी0एल0सी0 पैकेज लाइनिक्स व ओरिकल 11 जी साफ्टवेयर पर कार्य कर रहा है।
- 2. वी०एल०सी० के टेक्निकल अपग्रेडेशन से सम्बन्धित योजना पर कार्य मैसर्स सी०एम०सी० लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा किया गया है।

3.वर्तमान में कार्यालय भवन के द्वितीय तल में वी॰ एल॰ सी॰ से संबन्धित सभी कम्प्युटर विभिन्न कैबिनों में लगें हुये है जहाँ राजकोष व निर्माण समन्वय के कर्मचारी/ अधिकारी अपने लेखे संबन्धित डाटा कम्प्युटर के विनिमय कोड पर करते है राजकोष समन्वय, निर्माण समन्वय एवं वन समन्वय के विभिन्न अनुभागों को उनके अनुभागों को उनके अनुभागों में वी॰ एल॰ सी॰ के नोड उपलब्ध करा दिये गए है।